

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रागगढ़

आदेश पत्रक

विविध अपील (सी०आर०आर०) वाद संख्या-59/2023

टाटा स्टील लि० बनाम् राज्य अंचल अधिकारी, माण्डू एवं रागीग बगै०

आदेश की क्रम
संख्या
और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख

08/04/25

इस वाद की कार्यवाही भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रागगढ़ के न्यायालय में टाटा स्टील लि० वेस्ट बोकारो, कोलियरी प्रबंधक (Land Lease & Legal) वेस्ट बोकारो कृते ए०एन० सिन्हा द्वारा समर्पित सी०आर०आर० आवेदन के आलोक में दायर सी०आर०आर० वाद संख्या-09/2010-11 टाटा स्टील लि० कृते ए०एन० सिन्हा बनाम समीम एवं अन्य में दिनांक-08.08.2022 को पारित आदेश के विरुद्ध Bihar Board's Miscellaneous Rules, 1958 U/S- 3/9 के तहत विविध अपील दायर किया गया। वाद सुनवाई हेतु अंगीकृत करते हुए संबंधित पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख की नोंग की गई। विषयगत वाद में प्रश्नगत भूमि मौजा-कंदला, थाना-माण्डू के खाता संख्या-01 प्लॉट संख्या-55 एवं 75 कुल रकबा-6.25 ए० भूमि से संबंधित है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुना एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युत्तर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

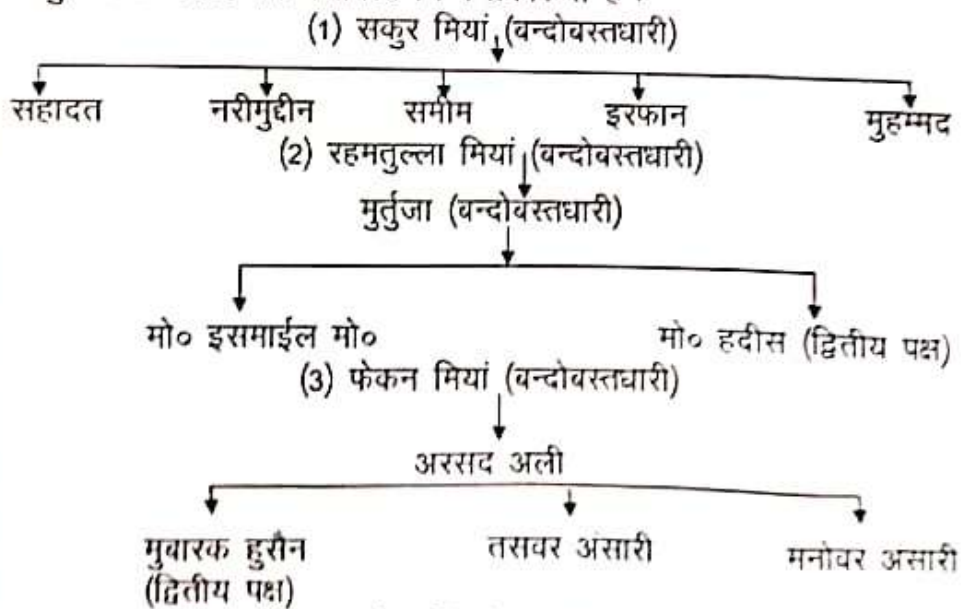
प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि खनन पट्टे के अंतर्गत आने वाली कुल 13007 बीघा (रकबा-4299.84 एकड़) भूमि में से लगभग रकबा-2054.70 एकड़ भूमि गैरमजरूआ भूमि के रूप में दर्ज है, जो टाटा स्टील कंपनी अपीलार्थी के कब्जे में है। अपीलार्थी को भूमिगत एवं खुली खदान दोनों तरह की खनन गतिविधियों को करने के लिए सतही अधिकार की आवश्यकता थी, तथा तदनुसार उसने MMRD Act, 1957 के नियम 27(i) (d) के तहत विभिन्न पत्रों के माध्यम से अनुमति के लिए बिहार राज्य में आवेदन किया। बिहार राज्य ने अपीलार्थी को उसके कोलियरी पट्टे के अंतर्गत स्थित गैरमजरूआ भूमि की पूरी रकबा-2054.70 एकड़ भूमि के उपयोग और कब्जे की अनुमति दी गई। अपीलार्थी नियमित रूप से राज्य को सतही किराया दे रहे हैं। मामले का तथ्य यह है कि प्लॉट संख्या-55 एवं 75 का क्षेत्र पश्चिमी बोकारो कोलियरी के खनन पट्टा क्षेत्र के भीतर है। वेस्ट बोकारो लिमिटेड (वेस्ट बोकारो कोलियरी) के प्रबंधन ने पत्र संख्या-WBC/A/42/5619 दिनांक-09.09.1976 के माध्यम से जिला खनन पदाधिकारी से अनुरोध किया कि वे मौजा-कंदला के खाता संख्या-1 के अंतर्गत प्लॉट संख्या-55 एवं 75 की भूमि सहित विभिन्न खातों के विभिन्न प्लॉटों की रकबा-775.12 एकड़ भूमि पर कब्जा करने के लिए अनुमति का अनुरोध किया गया। जिसके आलोक में तत्कालीन उपायुक्त, हजारीबाग ने

पत्र संख्या-2194/M दिनांक-05.08.1977 के माध्यम से उक्त रकवा-775.12 एकड़ भूमि पर खनन और संबद्ध उद्देश्यों के लिए कब्जा करने की मंजूरी गई। प्लॉट संख्या-55 रकवा-12.54 एकड़ भूमि सहित अन्य भूमियों को वन के रूप में अधिसूचित किया गया। कंपनी के प्रबंधन ने उक्त प्लॉट संख्या-55 की रकवा-12.54 एकड़ भूमि सहित विभिन्न खातों के विभिन्न प्लॉटों की रकवा-725.37 एकड़ वन भूमि के उपयोग, कब्जे के लिए वन विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन किया गया। कंपनी ने प्लॉट संख्या-55 एवं 75 की उपर्युक्त भूमियों पर दशकों से खनन कार्य किया जा रहा है। उस समय कोई भी व्यक्ति प्लॉट संख्या-55 एवं 75 की भूमि के किसी भी प्रकार का दावा नहीं किया गया। विपक्षी या उनके पूर्वजों ने कभी भी उपर्युक्त प्लॉट की भूमि के किसी भी भाग पर दखल कब्जा नहीं किया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत किए गए कागजात से कंपनी के प्रबंधन को पहली बार पता चला कि उनके दावे का आधार पूर्व जमींदार द्वारा उक्त भूमि के लिए हुकुमनामा दिया गया है। दस्तावेजों को देखने के बाद पता चला कि कथित हुकुमनामा खाता संख्या के तहत प्लॉट संख्या-55 एवं 75 की रकवा-6.25 एकड़ भूमि के संबंध में सकुर मियां और अन्य के नाम पर है। उपरोक्त दस्तावेज जाली, मनगढ़ंत तथा पूर्व तिथि वाले दस्तावेज हैं, जिनके बल पर कुछ लोगों ने हल्का कर्मचारी तथा अंचल कार्यालय, माण्डू के अन्य कर्मचारियों और अधिकारियों को साथ लेकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए हैं। विपक्षी कभी भी उक्त रकवा-6.25 एकड़ काबिज नहीं थे और उनका नाम बुझारत पंजी में उल्लेखित नहीं है। सकुर मियां और अन्य से कथित रूप से किराया वसूलने के संबंध में रजिस्टर-II एवं III/A में कोई संगत प्रविष्टियाँ नहीं हैं। लगान रसीदें बाद में पूर्व तिथि से बनाई गई हैं। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत हुकुमनामा फर्जी और संदिग्ध दस्तावेज हैं और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में अपीलार्थी द्वारा कंपनी को प्लॉट नंबर-55 के तहत रकवा-80.74 एकड़ भूमि का दावा प्राप्त हुआ है। मौजा-केदला में रकवा-66.50 एकड़ जमीन है और प्लॉट नंबर-75 के लिए प्राप्त दावा रकवा-20.17 एकड़ भूमि है, जबकि अपीलार्थी के पट्टे के तहत क्षेत्र केवल रकवा-12.06 एकड़ भूमि है। इस प्रकार प्लॉट नंबर-55 एवं 75 में अपीलार्थी द्वारा प्राप्त भूमि का दावा खतियान में दर्ज वास्तविक रकवा से अधिक है। उपर्युक्त तथ्यों के बावजूद भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ ने दिनांक-28.08.2022 के आदेश के तहत अपीलार्थी की आवेदन को खारिज कर दिया। भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ द्वारा पारित आदेश कानून की दृष्टि से गलत है और कानून की प्रक्रिया का पालन नहीं करता है। अपीलार्थी के विज्ञा अधिवक्ता द्वारा पूर्व में उपायुक्त के न्यायालय के वाद संख्या-60/2010 एवं 61/2010 की प्रति उपलब्ध कराते हुए बताया गया कि उक्त वाद में मात्र सादा हुकुमनामा के आधार पर, बिना जमींदारी रिटर्न, बुझारत पंजी, जमाबंदी रसीद वगैरह के बिना कायम जमाबंदी को अवैध माना गया है। Transfer of Property Act की धारा-17 के तहत 100 रुपये से अधिक मूल्य की भूमि पर हस्तांतरण निबंधित दस्तावेज के आधार पर किया गया है, जो विषयगत वाद में नहीं किया गया है। साथ ही अपर समाहर्ता, हजारीबाग द्वारा निर्गत रैयती मान्यता को कानूनी प्रावधान के तहत उचित नहीं माना गया है।

U

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपीलार्थी के विज्ञ अधिकता द्वारा अपील आवेदन स्वीकार करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज करने का अनुरोध किया गया।

विपक्षी के विद्वान अधिकता द्वारा बताया गया कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक-01.07.2023 को Bihar Board's Miscellaneous Rules 1958 U/s 3/9 के अंतर्गत भूमि सुधार उपसमाहर्ता, समगढ़ के न्यायालय में C.R.R. Case नं०-09/2010-11 में दिनांक-28.08.2022 को पारित आदेश के विरुद्ध अपील आवेदन दायर किया गया है। अपीलार्थी द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्ता, समगढ़ के न्यायालय में आवेदन दायर कर ग्राम-कंदला, थाना-माण्डू के खाता नं०-01 प्लॉट नं०-55 एवं 75 का समिलात रकबा-6.25 एकड़ भूमि का सकुर मियां, मुर्तुजा मियां एवं फेकन मियां एवं सरिफन निशा के नाम से रकबा-3.45 एकड़ के बल रहे जमाबन्दी को रद्द करने का आवेदन किया गया। विपक्षी मौजा-कंदला थाना-माण्डू उक्त भूमि को जोत-आबाद करते हुए ग्राम के जमीन्दार के मौखिक अनुमति से गैरमजरूआ खाते के भूमि को जोत कोड़ कर समतल कर कृषि योग्य बनाये तथा कृषि कार्य करने लगे। विपक्षी शमीम अहमद बन्दोबस्तधारी सकुर मियां के पुत्र हैं। जो अपने अन्य भाईयों के साथ बन्दोबस्ती में प्राप्त भूमि पर दखलकार हैं। द्वितीय पक्ष क्रमांक 2 मो० हदीस बन्दोबस्तधारी मुर्तुजा मियां के पुत्र हैं। जो अपने अन्य भाईयों के साथ पिता को बन्दोबस्त में प्राप्त भूमि के दखल कब्जा में है। द्वितीय पक्ष क्रमांक 3 अरशद अली एक बन्दोबस्तधारी हैं, इनके मृत्यु के पश्चात् इनके पुत्र मुबारक हुसैन एवं इनके मृत्यु के पश्चात् इनका पुत्र कोशर अंसारी प्रश्नगत भूमि में अपने हिस्से के भूमि में दखलकार हैं। बन्दोबस्तधारी सकुर मियां वगैरह का वंशावली निम्न प्रकार से है :-



सकुर मियां, मुर्तुजा मियां एवं अरशद अली गैरमजरूआ भूमि के शांतिपूर्ण दखल एवं जोत-आबाद में रहते हुए ग्राम के जमीन्दार से अपने दखल कब्जा के भूमि को बन्दोबस्त करने का आवेदन किया। जिसके आलोक में ग्राम के जमीन्दार अपने अमीन से भूमि का नापी करवाये तो पाया कि सकुर मियां वगैरह ग्राम-कंदला के खाता नं०-01 प्लॉट नं०-55 एवं 75 के रकबा-6.25 एकड़ भूमि को जोत-आबाद कर कृषि कार्य करते हुए शांतिपूर्ण

दखल कब्जा में चले आ रहे हैं, भूमि पर किसी तरह का विवाद नहीं है। जमीन्दार द्वारा सकुर मियां वगैरह से उचित सलामी लेकर तथा सलाना मालगुजारी निर्धारित कर फर्द रिपोर्ट अमीन निर्गत करते हुए हुकुमनामा के द्वारा दिनांक-07.12.1935 को ग्राम-कंदला के खाता नं०-01, प्लॉट नं०-55/2312, रकबा-3.90 एकड़, प्लॉट नं०-55/2313, रकबा-1.21 एकड़, प्लॉट नं०-55/2314, रकबा-43 डी० एवं प्लॉट नं०-55/2315, रकबा-59 डी०, प्लॉट नं०-75/2316, रकबा-12 डी० कुल रकबा-6.25 एकड़ भूमि सकुर मियां वगैरह को बन्दोबस्त कर दिये। बन्दोबस्तधारी रकबा-6.25 एकड़ भूमि के शांतिपूर्ण दखल कब्जा में रहते हुए जमीन्दार को मालगुजारी अदा किये। जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात् बिहार सरकार इन्हें रयत मानते हुए मालगुजारी प्राप्त कर वर्ष-1954 में पहला सरकारी रसीद निर्गत किया। इनके नाम से वर्ष-1954 से लगातार सरकारी रसीद निर्गत हो रहा है, जो पंजी-II के पेज नं०-55/1 में दर्ज है। द्वितीय पक्ष के शमीम मियां का रकबा-6.25 एकड़ मध्ये भूमि पर आवासीय मकान आँगन एवं कुआँ वगैरह का निर्माण किया गया है। जिसमें ये परिवार समेत निवास कर रहे हैं। शेष भूमि पर अन्य सभी हिस्सेदार दखलकार होकर कृषि कार्य कर रहे हैं। प्लॉट नं०-55 एवं 75 के कुल रकबा-6.25 एकड़ भूमि के सत्यापन हेतु अपर समाहर्ता, हजारीबाग के न्यायालय में आवेदन दायर किया गया। इसमें मुबारक हुसैन अपना पक्ष रखे, टाटा कम्पनी द्वारा आपत्ति दायर किया गया। उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं कागजातों के विश्लेषण के पश्चात् बन्दोबस्तधारी रयतों के दावे एवं कागजातों को सही मानते हुए इनके नाम से चल रहे जमाबन्दी को सत्यापित किया तथा टाटा कम्पनी के दावों को खारिज कर दिया गया। उपरोक्त तथ्यों से प्रमाणित होता है कि उत्तरवादी के पूर्वजों को रकबा-6.25 एकड़ भूमि दिनांक-07.12.1935 को हासिल हुआ है, तब से विपक्षी उक्त भूमि पर दखलकार हैं। सकुर मियां वगैरह को जमीन्दार द्वारा जो जमीन बन्दोबस्त किया गया, वह भूमि टाटा स्टील कम्पनी की लीज के पूर्व का है। इसलिए टाटा कम्पनी की लीज का दावा रकबा-6.25 एकड़ भूमि के स्वामित्व को प्रभावित नहीं करता है। अपर समाहर्ता, हजारीबाग द्वारा इनके जमाबन्दी के सत्यापन के क्रम में पाये कि इनका जमाबन्दी वैध है। दूसरी ओर अपीलार्थी के निम्न न्यायालय में सरिफन निशा वगैरह के नाम से रकबा-3.45 एकड़ भूमि के चल रहे जमाबन्दी को रद्द करने का अनुरोध किया गया। वास्तव में इनका नाम सरिफन निशा नहीं है, बल्कि शफुरा खातुन है। ग्राम-कंदला के जमीन्दार शफुरा खातुन जौजे रियाजुद्दीन वो बतुलन खातुन जौजे मुतुंजा मियां वो जलीमुन निशां जौजे अरशद मियां स्वयं एवं अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर ग्राम-कंदला के खाता नं०-01, प्लॉट नं०-55 एवं 102 के रकबा-3.45 एकड़ भूमि को जोत-आबाद कर कृषि कार्य किया। ग्राम के जमीन्दार अमीन से नापी करवाने पर पाये कि शफुरा खातुन वगैरह ग्राम-कंदला के खाता नं०-01, प्लॉट नं०-55 एवं 102 के रकबा-3.45 एकड़ भूमि को जोत-आबाद कर कृषि कार्य करते हुए दखलकार है तथा भूमि पर किसी तरह का विवाद नहीं है। ग्राम के जमीन्दार द्वारा शफुरा खातुन वगैरह से भूमि का उचित सलामी लेकर तथा सलाना मालगुजारी निर्धारित कर ग्राम-कंदला के खाता नं०-01, प्लॉट नं०-55/2305, रकबा-60 डी०, प्लॉट नं०-55/2306, रकबा-1.00 एकड़, प्लॉट नं०-55/2307, रकबा-65 डी० एवं

u

प्लॉट नं०-102/2308, रकबा-1.20 एकड़ कुल रकबा-3.45 एकड़ भूमि दिनांक-05.11.1941 को बन्दोबस्त कर दिया। शफुरा खातुन वगैरह के पूर्व में जमींदार को एवं जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात् बिहार सरकार ने रयत मानते हुए वर्ष-1954 में पंजी-II के पेज नं०-64/1 में नाम दर्ज कर मालगुजारी प्राप्त कर रकबा-3.45 एकड़ भूमि का सरकारी रसीद निर्गत किया। बन्दोबस्तधारी के वंशज मुबारक हुसैन के द्वारा अंचल अधिकारी, माण्डू के कार्यालय में IRR केस नं०-18/2004-05 दायर कर निवेदन किये कि ग्राम-कंदला के खाता नं०-01, प्लॉट नं०-55 एवं 102 रकबा-3.45 एकड़ भूमि के चल रहे जमाबन्दी को सत्यापित कर नियमित किया जाय। अंचल अधिकारी, माण्डू के द्वारा रकबा-3.45 एकड़ भूमि से सम्बंधित सभी कागजातों राजस्व पंजी एवं भूमि पर दखल कब्जा को देखते हुए रकबा-3.45 एकड़ भूमि से सम्बंधित शफुरा खातुन वगैरह का कागजातों को सही पाया तथा जमाबन्दी को नियमित करने के अनुशंसा के साथ अभिलेख को अपर समाहत्ता, हजारीबाग के न्यायालय को भेज दिया। अंचल अधिकारी, माण्डू के पत्रांक-1054, दिनांक-02.12.2004 के आलोक में ग्राम-कंदला के खाता नं०-01, प्लॉट नं०-55 एवं 102 रकबा-3.45 एकड़ भूमि के शफुरा खातुन वगैरह के नाम से चल रहे जमाबन्दी को नियमित करने का आदेश पारित किया गया। उपरोक्त तथ्यों से प्रमाणित होता है कि बन्दोबस्तधारी एवं उनके वंशज वर्ष-1941 से रकबा-3.45 एकड़ भूमि के शांतिपूर्ण दखल कब्जा में चले आ रहे हैं जो सक्षम पदाधिकारी के आदेश से बन्दोबस्तधारी के नाम से जमाबन्दी खोला गया है। इस तरह से रकबा-3.45 एकड़ का शफुरा खातुन के नाम से चल रहा जमाबन्दी वैध है। अपीलार्थी द्वारा भूमि प्राप्त करने का दिया जाने वाला ब्यारा अस्पष्ट एवं भ्रामक है। तीज में भूमि प्राप्त होने के मूल कागजात अपीलार्थी के द्वारा न्यायालय में दायर नहीं किया गया है। अपीलार्थी द्वारा निम्न न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन में सकुर मियां वगैरह के नाम से प्लॉट नं०-55 एवं 75 रकबा-6.25 एकड़ भूमि के जमाबन्दी को रद्द किया जाय। आवेदन के अन्त में कहते हैं कि शरीफन निशा के नाम से रकबा-3.45 एकड़ के चल रहे जमाबन्दी को खारिज किया जाय। इनका यह दावा विरोधाभासी है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णतः वैध है, जो उभय पक्षों के कागजातों, तथ्यों एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में पारित किया गया है। अपीलार्थी का कहना है कि सादा हुकुमनामा के आधार पर खोला गया जमाबन्दी अवैध है, जिसे खारिज किया जा सकता है। परन्तु राज्य सरकार के भूमि एवं राजस्व विभाग के द्वारा निर्गत पत्र संख्या-1817, दिनांक-12.11.2002 में दिनांक-01.01.1946 के पूर्व यदि रयत का सादा हुकुमनामा से भूमि बन्दोबस्त किया गया है एवं उसका जमाबन्दी चल रहा है, तो वह जमाबन्दी वैध माना जाएगा। यहां विचारणीय बिन्दू यह है कि बन्दोबस्तधारी सकुर मियां एवं शफुरा खातुन वगैरह के नाम से जमीन्दार द्वारा 1935 ई० एवं 1941 ई० में उचित सलामी लेकर तथा सालाना मालगुजारी निर्धारित कर प्रशंगत रकबा-6.25 एकड़ एवं रकबा-3.45 एकड़ भूमि बन्दोबस्त किया गया है, तथा सकुर मियां वगैरह एवं शफुरा खातुन वगैरह के नाम के जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात् वर्ष-1954 से वर्तमान समय तक सरकारी रसीद निर्गत किया गया है, इसलिए सकुर मियां एवं शफुरा निशा वगैरह के नाम से चल रहा जमाबन्दी वैध है। उपरोक्त पत्रांक में यह

भी उल्लेखित है कि यदि दिनांक-31.03.1957 तक संबंधित हल्का कर्मचारी द्वारा गैरमजरूआ भूमि का जमाबन्दी खोला गया है, तो वह बन्दोबस्ती वैध होगा, उत्तरवादी के पूर्वज सकुर मियां वगैरह एवं शफुरा खातुन वगैरह के नाम से प्रश्नगत रकबा-6.25 एकड़ एवं रकबा-3.45 एकड़ का जमाबन्दी तत्कालीन कर्मचारी द्वारा भूमि पर दखल कब्जा पाने एवं बन्दोबस्ती के कागजातों को वैध पाने के पश्चात् 1954 ई० में खोला गया है, इस तरह से उपरोक्त पत्रांक के आलोक में सकुर मियां वगैरह एवं शफुरा खातुन के नाम से खोला गया जमाबन्दी पूर्णतः वैध है। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा अनेक मामलों में निर्णय दिया गया है कि लम्बे अर्से से चले आ रहे जमाबन्दी को C.R.R के संक्षिप्त विचारणीय मामला के द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता है, इसके लिए सम्बंधित पक्षकार को दिवानी न्यायालय में जाना होगा। इसलिए इन्हें अपने हक एवं दावा का प्रमाणित करने के लिए व्यवहार न्यायालय जाना होगा।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को बहाल रखने एवं अपील आवेदन अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ द्वारा अपने आदेश फलक में अंकित किया गया है कि अंचल अधिकारी, माण्डू के जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है। सर्वे खतियान में किस्म जंगल दर्ज है। द्वितीय पक्ष द्वारा ग्राम-केदला के खाता सं०-01, प्लॉट सं०-55/2312, 55/2313, 55/2314, 55/2315, 75/2316 कुल रकबा-6.25 ए० सकुर मियां वगै० एवं खाता सं०-01, प्लॉट सं०-55/2305, 55/2306, 25/2307, 102/2308 कुल रकबा-3.45 ए० सकुरा खातुन वगै० को सादा हुकुमनामा के द्वारा प्राप्त करने का दावा किया जाता है। उक्त भूमि का वर्तमान पंजी-11 के पेज सं०-51/1 पर सकुर मियां वगै० के नाम से खाता सं०-01, रकबा-6.25 ए० एवं पंजी-11 के पेज सं०-64/1 पर सकुरा खातुन वगै० के नाम से रकबा-3.45 ए० भूमि दर्ज है। पंजी-11 में लगान वसूली का इन्द्राज वर्ष 2011-12 तक दर्ज है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित आदेश के अनुसार लम्बे समय से संचल रही जमाबन्दी को सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना खारिज किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत नहीं होता है।

उक्त तथ्यों के आलोक में भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ द्वारा अपील आवेदन अस्वीकृत किया गया है।

सरकारी अधिवक्ता ने अपने बहस के दौरान कहा कि प्रश्नगत भूमि गैरमजरूआ खास किरम जंगल प्रकृति की है। अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि खनन लीज के आधार पर प्राप्त होने का दावा करते हैं जबकि विपक्षी द्वारा सादा हुकुमनामा से प्राप्त होने का दावा करते हैं। विपक्षी के नाम से लंबी अवधि से कायम जमाबन्दी को आधार मानते हुए अपील आवेदन अस्वीकृत किया गया है, जो विधि-सम्मत प्रतीत होता है।

उभयपक्षों के विज्ञ अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता के बहस को सुनने एवं सलग्न कागजातों एवं लिखित अभिकथन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विधायक मामला मौजा-केदला, थाना-माण्डू के खाता संख्या-01 प्लॉट संख्या-55 एवं 75 रकबा-6.25 ए० भूमि से संबंधित है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा प्रश्नगत भूमि खनन लीज शीट के तहत प्राप्त होने का दावा करते हैं। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रश्नगत भूमि भौजा-कंदला के खाता सं०-01, प्लॉट सं०-55/2312, 55/2313, 55/2314, 55/2315, 75/2316 कुल रकबा- 0.25 ए० सकुर भिगां वगै० एवं खाता सं०-01, प्लॉट सं०-55/2305, 55/2306, 25/2307, 102/2308 कुल रकबा-3.45 ए० सकुरा खातुन वगै० को सादा हुकुमनामा के द्वारा प्राप्त करने का दावा करते हैं। प्रश्नगत भूमि के संबंध में भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ द्वारा विपक्षी के नाम से लंबे समय से कायम जमाबंदी को आधार पर विषयगत मामले को राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बाहर मानते हुए अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची में दायर L.P.A No.-218/2019 में भी लंबी अवधि से कायम जमाबंदी को राजस्व न्यायालय द्वारा रद्द करने संबंधी आदेश को उचित नहीं माना गया है।

वर्णित तथ्यों के विवेचन, निम्न न्यायालय के आदेश, विज्ञ अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत लिखित अभिकथन का अनुशीलन से स्पष्ट होता है कि भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ द्वारा विधि-सम्मत आदेश पारित किया गया है। ऐसी परिस्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थी के अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। प्रभावी पक्ष चाहें तो सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं। निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ को वापस करें।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Chanday
08/04/25
उपायुक्त,
रामगढ़।

Chanday
08/04/25
उपायुक्त,
रामगढ़।